न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	आदेश तिथि
50 / 2023	प्रा.पत्र 251-A RTA	19-09-2023	27.10.2023

रामेश्वर लाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू –प्रार्थी–

बनाम

1. फुलीदेवी पत्नी सांवताराम जाति जाट निवासिनी सोमासी तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू –अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1.श्री रामेश्वर लाल प्रार्थी स्वयं
2. श्रीमती फुलीदेवी अप्रार्थी सं. 1 स्वयं

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में इसी अनुवान का एक दावा धारा 251 (ए) आर.टी.ए. पेश किया गया था जिसमें दौराने सुनवाई अप्रार्थिया सं. 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया तथा बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज करने का निर्णय किया गया। प्रार्थी द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 20 / 2019 पेश की गई। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 09.12.2021 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2018 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलाण्ट वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रार्थना पत्र मानते हुए या नया प्रार्थना पत्र लेकर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर धारा 251 (ए) आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीमान् के न्यायालय द्वारा वादी / प्रार्थी को नया प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये जिस पर प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन एवं कृषि कार्यों हेतु वर्तमान में प्रचलित रास्ता कटवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने तथा मौका पर रास्ता की लम्बाई चौड़ाई में निशानदेही लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे बाद सुनवाई न्यायालय दावा दिनांक 14.03.2022 को स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा निर्णय के विरुद्ध [illegible] प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या [illegible] पेश की गई। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.07.2023 के द्वारा अपील [illegible] को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय [illegible] को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि मौके पर पक्ष[illegible]ों की उपस्थिति में न[illegible]सीलदार स्तर के अधिकारी को भिजवाकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टान की उपस्थिति में सुन[illegible] साक्ष्य सबूत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए आवागमन हेतु लघुतम रास्ता विधिवत सुनवाई कर कायम करें कि किसी भी काश्तकार के खेत के दो टुकड़े न हो, यथा सम्भव सींव पर ही रास्ता कायम किया जावे ।

निर्णय के साथ मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली को पेशी में ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू को प्रार्थी व अप्रार्थी को मौके पर सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर नायबत तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार चूरू की ओर से प्रार्थी रामेश्वरलाल अप्रार्थी एवं खातेदार खसरा नम्बर 379/281 तथा खेत खसरा नम्बर 379/281 पर मौके पर काबिज रणजीत तीनों की सहमति के आधार पर प्रस्ताव तैयार होकर प्राप्त हुआ ।

रिपोर्ट तहसीलदार चूरू निम्नानुसार है

1. मुकदमा 206/2021 निर्णय दिनाक 14.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 220/135 तादादी 0.1518 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी में आवागमन हेतु तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकितानुसार चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क से पूर्वी दिशा में अप्रार्थिनी सं. 1 फुलीदेवी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 281/133 तादादी 0.9738 हैक्टेयर रोही मौजा सोमासी में बने इण्टरलॉक खुर्रा पर खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे पश्चिम से पूर्व ख.नं. 281/133 की पूर्वी सीमा तक 346 फुट लम्बा × 16.5 फुट चौड़ा = कुल 5709 वर्गफुट का गै.मु. रास्ता कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम करने का आदेश पारित किया है।

2. माननीय न्यायाल के आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 595/02.05.2022 से मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन कर पालना कर दी गई है।

3. वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज उपखण्ड न्यायालय के निर्णयानुसार ही है।

4. यह रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 220/135 के पूर्वी मध्य सीमा तक जाता है। इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी अप्रार्थी व आमजन आवागमन के लिए करते है। इस प्रकार मुख्य सड़क से ख.नं. 220/135 तक इन्टलॉक खुर्रा बना हुआ है। जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में काटा गया रास्ते से लगभग 89 फुट ओर है।

5. चूरू से भालेरी मुख्य सड़क से पूर्व की ओर राजकीय विद्यालय सोमासी की उतरी सीमा के सहारे–सहारे ख0नं0 221/135 तथा ख0 नं0 220/135 की उतरी सीमा से ख0 नं0 220/135 मध्य पूर्व तरफ तक मौके पर उक्त इन्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है।

6. उपखण्ड न्यायालय द्वारा रोही मौजा–सोमासी में बने उक्त इन्टरलॉक खुर्रा पश्चिम से पूर्व 5709 वर्गफुट का गैर मुमकिन कटानी रास्ता अंकित करने का आदेश पारित किया था, रिकॉर्ड में अंकन बाद भी लगभग 89 फुट का इन्टरलॉक खुर्रा अतिरिक्त होकर आवागमन रास्ता है जिसकी चौड़ाई मौके पर कम होकर 13 फुट है अर्थात् कुल 1157 वर्गफुट रास्ता है।

7. पूर्व खसरा नम्बर 281/133 [illegible] मौके पर इन्टरलॉक खूर्रे से बना होकर आवागमन के काम लिया जा [illegible] भूमि 594 वर्ग मीटर पर मौके पर राजकीय विद्यालय सोमासी [illegible] योग में ली जा रही है इसके सहारे–सहारे दक्षिण से रास्ता है इसलिए सींव–सींव रास्ता मौ[illegible]पर नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

8. उपखण्ड न्यायालय के कटानी रास्ते से आगे प्रस्तावित रास्ता भूमि लगभग 107. 49 वर्गमीटर अर्थात् 1157 वर्गफुट फुली देवी पत्नी सांवतराम जाट के नाम रिकॉर्ड दर्ज है जिसका हाल खसरा नम्बर 379/281 रकबा 0.8614 है0 है।

9. मौके पर फुली पत्नी सांवतराम की उक्त रास्ता तरफ की भूमि पर मौके पर रणजीत पुत्र पेमाराम मेघवाल द्वारा कब्जा–काश्त करना बताया इस बाबत् रणजीत ने भी बाबत् रास्ता जो हाल खसरा नम्बर 339/281 फुली देवी की खातेदारी में प्रस्तावित है जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने की सहमति दी है जो संलग्न है।

10. पूर्व खसरा नम्बर 133 व 135 एक ही खातेदार के होने से वक्त बेचान ख0 नं0 135 का रास्ता ख0नं0 133 से होकर दिया जाना बताया है।

11. वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम सोमासी का ख0नं0 380/281 रकबा 0. 0530 है0 गै0मु0 रास्ता राज सरकार खसरा नम्बर 381/281 रकबा 0.0594 है0 तथा खसरा नम्बर 379/281 रकबा 0.8614 है0 फुली पत्नी सांवतराम जाट के नाम ख0 नं0 221/135 रकबा 0.1518 है0 सांवतराम पुत्र शेराराम जाट ख0नं0 220/135 रकबा 0.1518 है0 रामेश्वरलाल पुत्र मोटाराम जाट के नाम खसरा नम्बर 282/133 रकबा 0.1265 है0 रणजीत पुत्र पेमाराम हिस्सा 969/1265 जाति मेघवाल शकुन्तला पत्नी धर्मपाल 296/1265 जाति नायक के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है।

मौके पर प्रचलित रास्ता जिस पर इन्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है पारित श्रीमान उपखण्ड न्यायालय के आदेश कटानी रास्ते से आगे 1157 वर्गफुट रास्ता हेतु खातेदार की सहमति होने पर नियमानुसार स्वीकृत/ आदेश की अभिशंसा की गई ।

प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल अप्रार्थी श्रीमती फुली व खातेदार खसरा नम्बर 379/281 व खेत खसरा नम्बर 379/281 के कब्जा धारी ने न्यायालय में उपस्थित आकर तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इसी के अनुसार एक राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है राजीनामा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 14.03.2022 के अनुसार दिए गए 346 x 16.5 फुट कुल 5709 वर्गफुट रास्त से आगे के शेष रास्ते बाबत् उनके मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया है उक्त कृषि भूमि जो कि द्वितीय पक्षकार रणजीत मेहरा की है जिसमें से उक्त भूमि 89x13 कुल 1157 वर्ग फुट जो द्वितीय पक्षकार फुलीदेवी व रणजीत मेहरा की सहमति से उक्त भूमि में रास्ता देना तय किया है जो कि अब उक्त रास्ता में 13 फुट का है बाकी रास्ता 89x3.5 प्रथम पक्षकार के खेत में सहमति से दिया जावेगा। प्रार्थी व अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया कि तहसीलदार चूरू से प्राप्त प्रस्ताव व प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आगे का रास्ता कायम किया जाता है तौ उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। पस्ताव व राजीनामा को शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया ।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव एवं राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत ख.नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. [illegible] /133 रोही मौजा सोमासी की दक्षिणी सीमा के पास से पश्चिम से पूर्व की ओर [illegible] चौड़ा रास्ता दिये जाने की मांग की है जिस पर इण्टरलॉक सड़क पहले [illegible] भी चालू है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाल[illegible] के आदेश दिनांक 14.03.2022 के मुताबिक ना.सं. 595/02–05–2022 से राजस्व रिकॉ[illegible] रास्ता का अंकन कर पालना कर दी गई है।प्रस्तावित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालु होकर इंटरलॉक खुर्रा बना हुआ है तथा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 220/135 की पूर्वी मध्य सीमा तक जाता है यह रास्ता मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में काटा गया रास्ता से लगभग 89 फुट ओर अधिक है जिसकी चोड़ाई मौके पर कम होकर 13 फुट है अर्थात आगे का रास्ता 89x13 अर्थात् 1157 वर्गफुट ओर है पूर्व खसरा नम्बर 281/133 में रास्ता मौके पर इन्टरलॉक खुर्रे से बना होकर आवागमन के काम में लिया जा रहा है तथा दक्षिण तरफ की आंशिक भवन भूमि 594 वर्गमीटर पर मौके पर राजकीय विद्यालय सोमासी का भवन है व भूमि उपयोग में ली जा रही है तथा सींव–सींव रास्ता नहीं है जिसकी सहमति उभय पक्ष ने दी है अतः सींव–सींव रास्ता कायम नहीं किया जाकर जहां से रास्ता है वहीं से कायम किया जाना न्यायोचित है। कटानी रास्ते से आगे प्रस्तावित रास्ता भूमि लगभग 1157 वर्गफुट फुली देवी पत्नी सांवतराम जाट के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिस पर रणजीत पुत्र पेमाराम का कब्जा होना बताया है जिसकी सहमति रणजीत तथा पक्षकारान उभय पक्ष द्वारा दी गई है। प्रार्थी व अप्रार्थीनी सं. 1 ने उपस्थित होकर तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तावित रास्ता व पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर रास्ता कायम किये जाने पर अनापति जाहिर की है। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी ग्राम सोमासी व रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता राज. सरकार 381/281 रकबा 0.0594 है0 तथा ख.नं. 379/281 रकबा 0.8614 है0 फुली देवी पत्नी सांवतराम जाट के नाम ख.नं. 221/135 रकबा 0.1518 है0 सांवतराम पुत्र शेराराम जाट ख.नं. 220/135 रकबा 0.1518 है0 रामेश्वर पुत्र मोटाराम जाट के नाम खसरा नम्बर 282/135 रकबा 0.1265 है0 रणजीत पुत्र पेमाराम हिस्सा 969/1265 जाति मेघवाल शकुन्तला पत्नी धर्मपाल हिस्सा 296/1265 है0 जाति नायक के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त प्रस्तावित रास्ता चूरू भालेरी रोड़ से पश्चिम से पूर्व की आर श्रीमती फुलीदेवी के खेत खसरा नम्बर 379/281 के मध्य से राजकीय विद्यालय के दक्षिण दिशा मे सहारे–सहारे, सांवताराम के खेत खसरा नम्बर 221/135 में रामेश्वरलाल के खेत खसरा नम्बर 220/135 के उत्तर में सहारे–सहारे होते हुए खेत खसरा नम्बर 282/133 के लगता है पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से आगे 13 फीट चौड़ा रास्ता है शेष 3.5 फीट चौड़ा रास्ता रामेश्वरलाल के खेत से लिये जाने पर उभय पक्ष सहमत हुए है तथा यही रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में दर्शित किया है व यही रास्ता उभय पक्ष द्वारा चाहा गया है। इस रास्ता पर मौके पर कटानी रास्ते से आगे के रास्ता पर रणजीत पुत्र पेमाराम मेघवाल का कब्जा होना बताया है जिस पर रणजीत ने रास्ते हेतु सहमति दी है। इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी व अप्रार्थी आने जाने के लिए करते हैं। इस रास्ते में से पूर्व में कटानी रास्ता से आगे का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी व अप्रार्थीनी के पति के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये है तथा प्रार्थि व अप्रार्थीनी ने न्यायालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट तहसीलदार चूरू व संलग्न राजीनामा के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर सहमति जाहिर करते हुए हस्ताक्षर किये है।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव फर्द मौका व नजरी नक्शे तथा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, [illegible] प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए [illegible] (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थी द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नही [illegible] में जाने वाली कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति के एवज में कोई क्षतिपूर्ति राशि की मांग अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता पूर्व कटानी रास्ता से आगे 89 × 13 फुट, कुल 1157 वर्गफुट वाला दर्शित किया गया है जबकि दोनों पक्षों ने रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट रखने पर सहमति दी है तथा उक्त रास्ता में शेष 3.5 फीट चौड़ाई रामेश्वरलाल के खेत से लिये जाने की सहमति दी है। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 13 फुट चौड़े रास्ते के स्थान पर 16.5 फुट रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं यन्त्र आदि का आवागमन सुगमता से हो सके। उक्त रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट करने से रास्ते का क्षेत्रफल 89× 16.5 = 1468.5 वर्गफुट होगा। जो 89 × 13 = 1157 वर्ग फुट भूमि खेत खसरा नम्बर 379/281 खातेदार फुलीदेवी से तथा 89 × 3.5 =311.5 वर्गफुट भूमि खेत खसरा नम्बर 220/135 खातेदार रामेश्वर से लिया जाना प्रस्तावित है तथा इसके अलावा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.03.2022 द्वारा घोषित रास्ते को उभय पक्ष स्वीकार कर रहे है। इस प्रकार उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 220/135 तादादी 0.1518 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी में आवागमन हेतु तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकितानुसार चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क से पूर्वी दिशा में उपखण्ड अधिकारी चूरू के ओदश दिनांक 14.03.2022 की पालना में पूर्व में कटानी रास्ता को यथावत रखते हुए कटानी रासता से आगे अप्रार्थिनी सं. 1 फुलीदेवी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 379/281 रोही मौजा सोमासी में बने इण्टरलॉक खुर्रा पर खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे पश्चिम से पूर्व खेत ख.नं. 282/133 की पश्चिमी सीमा तक 89 फुट लम्बा × 16.5 फुट चौड़ा = कुल 1468.5 वर्गफुट का गै.मु. रास्ता जिसमें 13 फुट चौड़ाई फुलीदेवी के खेत खसरा नम्बर 379/281 में से तथा 3.5 फीट चौड़ाई रामेश्वरलाल के खेत खसरा नम्बर 220/135 से लेते हुए कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे तथा प्रार्थी को मौके पर रास्ते की निशानदेही दी जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का एक भाग माना जावेगा तथा रास्ते की चौड़ाई 13 फुट के स्थान पर 16.5 फुट मानी जावेगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:34 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू